I/229210/2024

संख्या: 229210 /XV-1/23-1(7)19/26187

प्रेषक,

करम राम,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2024

विषय पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्या–26270/नि–5/एक(4)/एस्कैड/2024–25 दिनांक 18 जुलाई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के समसंख्यक तीन पत्र संख्या–k-13013/2/2020-LH(E-16206) दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता योजनान्तर्गत केन्द्रांश पक्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के पक्षांतर्गत कुल रू० 97.72 लाख तथा केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश पक्षान्तर्गत उपलब्ध बजट के सापेक्ष कुल रू० 10.40 लाख सहित कुल **रू० 108.12 लाख (रू० एक करोड़ आठ लाख बारह हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक/अनुदान संख्या	बजट प्राविधान	केन्द्र का अंश	राज्य का अंश	कुल धनराशि
अनुदान संख्या–28				
लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (90प्र.के.स.)/एसिस्टेंट टू स्टेट फार कन्ट्रोल आफ एनिमल डिजीजेज (श्वेत क्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	600.00	70.05	–	77.83
लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9506–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (10प्र.)/एसिस्टेंट टू स्टेट फार कन्ट्रोल आफ एनिमल डिजीजेज(श्वेतक्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	92.40	–	7.78	
2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0121–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (100प्र.के.स.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	5.40	4.08	–	4.08
अनुदान संख्या–30				

लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्र द्वारो पुरोनिधानित योजना–0106–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (90प्र.के.स.)/एसिस्टेंट टू स्टेट फार कन्ट्रोल आफ एनिमल डिजीजेज (श्वेत क्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	205.20	15.54	–	17.27
लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9506–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (10प्र.)/एसिस्टेंट टू स्टेट फार कन्ट्रोल आफ एनिमल डिजीजेज (श्वेत क्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	22.80	–	1.73	
अनुदान संख्या–31				
लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0107–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (90प्र.के.स.)(श्वेतक्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	43.20	8.05	–	8.94
लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9507–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (10प्र.)/(श्वेतक्रांति–रा.प.वि.यो.)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	4.80	–	0.89	
कुल योग	**973.80**	**97.72**	**10.40**	**108.12**

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
6. स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता,

दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

7. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा मे अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8. योजनान्तर्गत सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28, अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Karam Ram
Date: 31-07-2024 16:06:33

(करम राम)
अनु सचिव

229210

संख्याः (1)/ XV-1/23-1(7)2019 /26187 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कूमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

(करम राम)
अनु सचिव